कार्यालय केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय, लखनऊ।

नीलामी सूचना

लखनऊ:दिनांक:मार्च 19 ,2016

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, लखनऊ की पुरानी निष्प्रयोज्य राजकीय पूलकार सं0 यू0पी0–32 पी–4678 (एम्बेसडर) की नीलामी दिनांक 08.04.2016 की सांय 4:00 बजे दक्षिणी खण्ड भवन के भू–तल पर स्थित सभागार कक्ष में होगी।

उपरोक्त पुराने निष्प्रयोज्य राजकीय पूलकार वाहन की बोली बोलने हेतु प्रतिभूति के रूप में रु0 10,000/– की नकद धनराशि इस न्यायालय के अधीनस्थ कार्यालय केन्द्रीय नजारत कमरा न0–7 में नीलामी की नियत तिथि से पूर्व अर्थात 06.04.2016 तक प्रत्येक कार्य दिवस में अपरान्ह 12:00 बजे से 2:00 बजे तक इस न्यायालय के कैशियर के पास जमा करते हुए उससे संबन्धित प्राप्ति रसीद प्राप्त की जा सकती है। उक्त नीलामी बोली बोलने के लिए जिस प्रतिभागी द्वारा प्रतिभूत की धनराशि जमा नही की जावेगी उसे नीलामी बोली बोलने का अधिकार नहीं होगा। उपरोक्त पुराना निष्प्रयोज्य पूलकार वाहन, माननीय जिला जज, लखनऊ महोदय के आवासीय कैम्प कार्यालय, 4 बटलर रोड, लखनऊ पर उपलब्ध है, जिसे अपरान्ह 12:00 बजे से 2:00 बजे तक देखा जा सकता है।

उपरोक्त वाहन की नीलामी से संबन्धित अन्तिम बोली जिस प्रतिभागी के पक्ष में छूटेगी उस नियमानुसार कर की धनराशि अलग से जमा करना अनिवार्य होगा तथा अन्तिम बोली की धनराशि का 50% की धनराशि तुरन्त नीलामी स्थल पर जमा करना अनिवार्य होगा। यदि संबन्धित प्रतिभागी 50% की धनराशि तुरन्त नीलामी स्थल पर जमा नहीं करता है तो उसके द्वारा जमा धरोहर राशि को सरकार के पक्ष में जब्त करते हुए उसके विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जावेगी तथा दूसरे क्रम पर नीलामी बोली की अधिकतम बोली बोलने वाले प्रतिभागी की बोली स्वीकार की जावेगी अथवा पुनः नीलामी कार्यवाही के लिए विचार किया जावेगा। अन्तिम बोली की अवशेष 50% की धनराशि को अधिकतम 07 दिवस में जमा करने के पश्चात् उपरोक्त वाहन को स्थल से तुरन्त हटवाना अनिवार्य होगा। यदि उक्त वाहन को उपरोक्त अवधि के अन्दर स्थल से सम्बन्धित प्रतिभागी द्वारा हटवाया नही जाता है तो माल की अभिरक्षा हेतु बोली की धनराशि का 1% प्रतिदिन की दर से प्रभार के रूप में धनराशि का भुगतान करना अनिवार्य होगा।

उपरोक्त से सम्बन्धित जमा की जाने वाली सभी धनराशि नकद जमा की जावेगी उससे सम्बन्धित किसी प्रकार की चेक/ड्राफ्ट एवं बिल आदि प्राप्त नहीं किया जावेगा। उपरोक्त के सम्बन्ध में किसी प्रकार के विवाद के लिए निर्णय लेने व तिथि में परिवर्तन एवं वृद्धि आदि किये जाने से संबन्धित सम्पूर्ण अधिकार माननीय जिला जज लखनऊ महोदय के अधीन सुरक्षित होगा, जो सभी को मान्य होगा।

19/3

सदस्य
नीलामी समिति/प्रभारी अधिकारी (नजारत)
न्यायाधीश विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार
निवारण, सी0बी0आई0–6, लखनऊ।